न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—185/2024 दायर दिनांक 03.09.2024

जीसीएमएस आई0डी0:—2024/400

मुकेश पुत्र रोशन जाति जांगिड निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0।

——सायलान

बनाम

1. विमला देवी पत्नि नाहरसिंह जाति जांगिड निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——गैरसायलान—02

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री अशोक नीमनका वकील सायलान

2. श्री आर सी जैन गैरसायलान

निर्णय दिनांकः— 13-5-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल द्वारा जरिये वकील दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 53 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 682 रकवा 16 ऐयर स्थित ग्राम पट्टीनारायणपुर, तहसील हिण्डौन में सायल तहिस्सा 2/3 तथा गैरसायल बहिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार है, जो अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। आराजी वर्णित मद नं० 1 वादपत्र को मौके पर सायल व गैरसायल न0 1 ने बाहामी बटवारा किया हुआ है एवं सायल व गैरसायल न0 1 ने अपने—अपने हिस्से को अलग अलग डोल मेंढ से महदूद किया हुआ है लेकिन सायल व गैरसांयल न0 1 के मध्य डौल—मेंढ को लेकर आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है, इसलिये आराजीयात का बटवारा कराना आवश्यक हुआ है।

बांका दिनांक 20.06.2023 को सायल अपने हिरनी की आराजी पर आगामी फसल बाजरे की बुवाई के लिये साफ—सफाई करने गया था कि तभी गैरसायल व उसके हमराही मौके पर आये एवं चादी से कहा कि तुम्हारे पास हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा है, इसलिये तुम इस भूमि को अब काश्त मत करना क्योंकि हम अपने खेतो का बेचान कर रहे है साथ ही तुम्हारे पास जो अधिक भूमि है उसका भी बेचान करेंगें जिस पर सायल ने गैरसायल को समझाने का प्रयास किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:12:58 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कि यदि मेरे पास अधिक भूमि है तो उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा करा लेते है जिस पर प्रतिवादी व उसके हमराही नाराज हो गये एवं वादी को स्पष्ट धमकी दी कि अब हम तुम्हारे हिस्से सहित उक्त आराजी का दीगर लठैत व्यक्तियों को बेचान करेंगें और ये लोग तुमसे डण्डे के बल पर कब्जा भी छीन लेंगें सायल ने गैरसायल से आराजीयात का विधिवत बटवारा कराने की हाथ जोडकर प्रार्थना की तो गैरसायल उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा कराने से साफ इंकार हो गई, इस प्रकार सायल ने गैरसायल को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वह किसी की एक मानने को तैयार नहीं है इस प्रकार गैरसायल अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गई तो सायल को अपूर्तणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति इन टर्म्स ऑफ मनी किया जाना संभव नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 682 रकवा 16 ऐयर स्थित ग्राम पट्टीनारायणपुर, तहसील हिण्डौन में सायल को उनके हिस्से से बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे। ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे वादी के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल न0 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 08.04.2025 से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायल न0 1 की ओर से श्री आर सी जैन अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 में सायल द्वारा प्रतिसायलगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा में उक्त उनवानी वाद बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा कतई गलत एवं असत्य पेश किया है जो स्वीकार है, जिसमें सायल का हरगिज सफलता नहीं मिल सकती।
2. प्रार्थना पत्र मद न0 2 स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 में अंकित मुतजिका मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र का मौके पर सायल एवं गैरसायल नम्बर 1 के मध्य बटवारा किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

होना तथा अपने–अपने हिस्से पर अलग–अलग डोल मेढ से महदूद किया हुआ होना स्वीकार है, शेष मजमून अस्वीकार है।

4. प्रार्थनापत्र का मद नम्बर 04 कतई गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है. दिनांक 20.06.2023 को या कभी भी आराजीयात विवादग्रस्त पर सायल बाजरे की बुबाई के लिये साफ–सफाई करने नहीं गया, ना ही गैरसायल नम्बर 1 अपने किसी हमराही के साथ मौके पर आई. गैरसायल नम्बर 1 ने उक्त मद में दर्ज कोई बात वादी से कभी नही कही, गैरसायल नम्बर 1 ने उक्त मद में दर्ज कोई धमकी किसी प्रकार की सायल को नहीं दी, विवादग्रस्त भूमि का बटवारा तो फरीकेन के मध्य पहले से ही हो रहा है, वादी को कोई अपूर्तनीय क्षति किसी प्रकार की नहीं है सायल ने दावा कतई गलत व असत्य खिलाफ कानूनी पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

5. प्रार्थनापत्र का मद नम्बर 04 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है, प्राईमाफेसी केश व सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में बखुबी साबित नहीं है बल्कि गैरसायला न0 1 के पक्ष में बखूबी साबित है।

जबाव दावा पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादिया नम्बर 1 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 202 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन पेश किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 682 रकवा 16 ऐयर स्थित ग्राम पट्टीनारायणपुर, तहसील हिण्डौन में सायल को उनके हिस्से से बेदखल कर स्वयं [illegible] कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना [illegible] अन्य से करावे, जिससे वादी के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली),

रखने का निवेदन किया। वकील गैरसायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 202 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन के सायलान एवं गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे।ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है।इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 13-5-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:12:58 IST
Reason: SelfAttested